कारपोरेट गवर्नेंस पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट

कंपनी का नाम : **एनएचपीसी लिमिटेड**

समाप्त तिमाही : **30.09.2015**

विवरण	लिस्टिंग अनुबंध का क्लॉज़	अनुपालन की स्थिति हाँ / नहीं	टिप्पणी
II निदेशक बोर्ड	49 (II)	-	-
(क) बोर्ड का गठन	49 (II A)	**नहीं**	एन एच पी सी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। कंपनी के आर्टिक्ल आफ असोशिएशन (Articles of Associations) के अनुसार सभी निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में कंपनी में 23.09.2015 (अर्थात वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि) से कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। विद्युत मंत्रालय को आर्टिक्ल आफ असोशिएशन (Articles of Associations) तथा कॉर्पोरेट मंत्राल्य की दिनांक 05 जून 2015 की अधिसूचना संख्या GSR 463 (E) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए ज़रूरी कारवाई करने के लिए निरंतर कहा जा रहा है।
(ख) स्वतंत्र निदेशक	49 (II B)	**हाँ**	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने की वजह से सभी निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकारी निदेशकों तथा नामित निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाती है। प्रदर्शन मूल्याकन मापदंड तैयार करने के लिए नीति बनाई जा रही है।
(ग) गैर-कार्यपालक निदेशक – प्रतिपूर्ति व प्रकटन	49 (II C)	**हाँ**	
(घ) बोर्ड व समितियों के	49 (II D)	**हाँ**	-

संदर्भ में अन्य प्रावधान			
(ड) आचार संहिता	49 (II E)	**हाँ**	-
(च) व्हिसल ब्लोयर नीति	49 (II F)	**हाँ**	-
III लेखा समिति	49 (III)	-	-
(क) योग्य व स्वतंत्र लेखा समिति	49 (III A)	**नहीं**	वैधानिक आवश्यकता के अनुसार ऑडिट कमेटी का पुनर्गठन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर किया जाएगा।
(ख) लेखा समिति की बैठक	49 (III B)	**हाँ**	-
(ग) लेखा समिति के अधिकार	49 (III C)	**हाँ**	-
(घ) लेखा समिति की भूमिका	49 (III D)	**हाँ**	कंपनी अधिनियम की धारा 139 (7) तथा 143 (5) के अनुसार सरकारी कोंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है ।
(ड) लेखा परीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा	49 (III E)	**हाँ**	-
IV नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	49 (IV)	**नहीं**	वैधानिक आवश्यकता के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक कमेटी का पुनर्गठन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर किया जाएगा।
V. सहायक कंपनियां	49 (V)	**हाँ**	कंपनी में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त होने पर एकमात्र महत्वपूर्ण सहायक कंपनी में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की जाएगी।
VI जोखिम प्रबंधन	49 (VI)	**हाँ**	-
VII संबंधित पक्ष से लेन देन	49 (VII)	**हाँ**	-
VIII प्रकटीकरण	49 (VIII)		
(क) संबंधित पक्ष से लेन-देन का आधार	49 (VIII A)	**हाँ**	-
(ख) एकाउंटिंग ट्रीटमेंट का प्रकटीकरण	49 (VIII B)	**हाँ**	-
(ग) निदेशकों का पारिश्रमिक	49 (VIII C)	**हाँ**	-

(घ) प्रबंधन	49 (VIII D)	**हाँ**	-
(ङ) शेयर धारक	49 (VIII E)	**हाँ**	
(च) पब्लिक इश्यूज़, राइट्स इश्यूज़, प्रिफ्रेंशियल इश्यूज़ आदि से प्राप्ति	49 (VIII F)	**हाँ**	-
IX. सी ई ओ/ सी एफ ओ का प्रमाणन	49 (IX)	**हाँ**	-
X. कारपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट	49 (X)	**हाँ**	-
XI. अनुपालन	49 (XI)	**हाँ**	-

Sd/-
(विजय गुप्ता)
कंपनी सचिव एवं अनुपालना अधिकारी